

2.18

प्रपत्र-17

परियोजना का नाम :-

मा0 मुख्यमंत्री जी घोषणा संख्या 902/2017 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला में दोबाट रॉथी हल्का वाहन मार्ग का विस्तारीकरण निर्माण कार्य । (लम्बाई 0.000 से 7.075 किमी0)

न्यूनतम वृक्षों के पातन किये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना के निर्माण हेतु प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या न्यूनतम है व भारत सरकार से परियोजना के निर्माण की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त आवश्यक न्यूनतम वृक्षों का ही पातन किया जायेगा।

ह0/

प्रयोक्ता एजेन्सी

ह0/-

प्रभागीय वनाधिकारी

अतिरिक्त अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0वि0रि
अमरोट (पिथौरागढ़)

JE

महायक अभियन्ता
लोक निर्माण विभाग
धारचूला (जर कोट)

वन क्षेत्राधिकारी
धारचूला

क.ट.

प्रभागीय वन अधिकारी
पिथौरागढ़ वन प्रभाग